बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–25/2017 /स्वा0/पटना, दिनांक /डा0 हरिशचंद्र चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहार के विरूद्ध सात वैसे लोगों का विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप है, जो विकलांग नहीं है।

2. विभागीय पत्रांक 779(9) दिनांक 18.7.17 द्वारा डा0 चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. अपने स्पष्टीकरण दिनांक 10.08.2017 में डा0 चौधरी द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री सत्यनाराण सिंह, परिवादकर्ता प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सहार में अनुबंध चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे, इनकी सेवा संतोषप्रद नहीं होने के कारण इनकी सेवा का विस्तार नहीं किया गया, जिससे पूर्वाग्रहवश यह गलत आरोप लगाया गया। जिन सात गलत व्यक्तियों का दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने का उल्लेख है, यह डा0 नवाज अशरफ, संविदा चिकित्सक एंव श्री सुदामा कुमार, स्वास्थ्य सेवक के द्वारा बनाया गया है, जिसकी जानकारी डा0 चौधरी को नहीं थी।

4. डा0 चौधरी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराते हुए सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा अपने पत्रांक 2499 दिनांक 22.6.18 में उल्लेख किया कि निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र में डा0 हरिशचंद्र चौधरी, का हस्ताक्षर नहीं है। श्री सुदामा प्रसाद, चतुर्थवर्गीय कर्मी को इस अनियमितता के लिए निलंबित किया गया था तथा विभागीय कार्यवाही के उपरांत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोका गया। संबंधित मामले में दिनांक 28.4.18 को सहार थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर श्री सुदामा प्रसाद को पुनः निलंबित किया गया है। किंतु श्री सुदामा प्रसाद चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी कार्य डा0 हरशिचंद्र चौधरी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सहार के आदेशानुसार किया जाता था।

संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षा की गई तथा पाया गया कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सहार के कार्यालय से गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। डा0 चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे। उनका दायित्व था कि वे अपने कार्यालय पर उचित नियंत्रण रखकर सही कार्य ही करवाते। डा0 चौधरी अपने कार्य का सही तरीके से निर्वहन नहीं किए जिससे गलत तरीके से 07 (सात) व्यक्तियों का दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत हुआ।

अतः सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 हरिशचंद्र चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सहार को निंदन की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानंद ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 629(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 18/6/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/ सिविल सर्जन आरा (भोजपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 हरिशचंद्र चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/06/19
सरकार के अवर सचिव।

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx